



178

न्यायलय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क01/17 विविध

II पुनर्वालीकन मुर्देना भू-रा 2017/1608

श्रीमान राजस्व मण्डल मण्डल
द्वारा आज दि 26/5/17 को

प्रस्तुत

श्रीमान राजस्व मण्डल मण्डल
द्वारा आज दि 26/5/17 को

प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1-लोकेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह
- 2-श्रीमती सन्तो देवी पत्नी लोकेन्द्र सिंह
- 3-बाबूसिंह पुत्र हवलदारसिंह
- 4-सरनाम सिंह पुत्र तेजसिंह
- 5-लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजसिंह
- 6-हरीशंकर पुत्र तेजसिंह
- 7-संध्याबाई पुत्री तेज सिंह
- 8-विजयसिंह पुत्र केदारसिंह
- 9-रामेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह
- 10-होशियार सिंह पुत्र कप्तानसिंह
- 11-उदयसिंह पुत्र कप्तानसिंह
- 12-लक्ष्मण सिंह पुत्र बाबूसिंह
- 13-मोतीसिंह पुत्र बाबूसिंह
- 14-पुत्तूसिंह पुत्र कप्तानसिंह
- 15-शान्तीशरण पुत्र कप्तानसिंह
- 16-सीमा पुत्री शान्तीशरण
- 17-गुडडी पुत्री कप्तानसिंह
- 18-इन्द्रपाल पुत्र हमीर सिंह
- 19-सावित्री पत्नी इन्द्रपाल सिंह
- 20-विनोद पुत्र गुन्धी सिंह
- 21-रंजीत पुत्र गुन्धी सिंह
- 22-योगेश पुत्र गुन्धी सिंह
- 23-भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुन्धी सिंह
- 24-सरनामसिंह पुत्र पोहपसिंह

.....आवेदक

बनाम

म0 प्र0 राजस्व

.....अनावेदक

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जा0

दी0 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0म0या0संहिता

श्रीमान जी,

संसोधन आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि मान्यनीय न्यायालय द्वारा प्र0क0 R 198-1/17 रिव्यू में आदेश दिनांक 19/12/2016 को पारित किया गया है।
- 2- यह कि आदेश में आवेदक गण के पता ग्राम सिरोही के स्थान पर सिरोही अंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पैरा क0 2 की कलम नं0 3 सिरोही के स्थान पर सिरोही अंकित हो गया है। इसी प्रकरण आदेश के पेज क0 4 पैरा 2 की तीसरी पक्ति ग्राम सिरोही के स्थान पर सिरोही तथा इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयोग के स्थान प्रयाग टाइपिंग की गलती से अंकित हो गया है।
- 3- यह कि आदेश में आवेदक के पता ग्राम सिरोही के स्थान पर सिरोही आदेश के पैरा 2 की कलम नं0 3 ग्राम सिरोही के स्थान पर सिरोही तथा पैज 4 के पैरा 2 की तीसरी लाइन में ग्राम सिरोही के स्थान पर सिरोही तथा इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयाग के स्थान पर प्रयोग उक्त संसोधन किया जाकर पढ़े जाने का आदेश किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होकर आवश्यक है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आवेदक गण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त संसोधन मान्यनीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2016 में किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक...26.12.17

प्रार्थी

लोकेन्द्र सिंह आदि.....आवेदक






राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/विविध/मुरैना/भू-रा./2017/1608

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषको हस्ताक्षर	एवं के
27.7.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर धारा 151 व 152 जा0 दी0 एव सहपठित धारा 32 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक रिव्यु 198-एक/17 में पारित आदेश दिनांक 9.2.17 में आवेदकगण के पते में ग्राम सिहोरी के स्थान पर सिरोही अंकित हो गया है। आदेश के पैरा क्रमांक 2 की कॉलम न0 3 सिहोरी के स्थान सिरोही अंकित हो गया है। पेज क्रमांक 4 पैरा 2 की तीसरी पक्ति ग्राम सिहोरी के स्थान सिरोही हो गया है एवं इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयोग के स्थान पर प्रयाग टाइप हो गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण के पते पर ग्राम सिरोही के स्थान पर सिहोरी पढ़ा जावे। आदेश के पैरा क्रमांक 2 की कॉलम न0 3 में सिरोही के स्थान पर सिहोरी पढ़ा जावे। इसी प्रकार पेज क्रमांक 4 पैरा 2 की तीसरी पक्ति ग्राम सिरोही के स्थान पर सिहोरी पढ़ा जावे एवं इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयाग के स्थान पर प्रयोग पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p>		




सदस्य